तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
03.05.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा कोटड़ीखुर्द पटवार हल्का कोटड़ीकला तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 220 आराजी नंबर 178 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 179 रकबा 3.0900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.1000 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावे। [illegible] किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। [illegible] हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर [illegible] शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर [illegible] कम हो। [उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा]	No-objection

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:32:26 IST
Reason: SelfAttested